भारतीय स्टेट बैंक

बिक्री की सूचना

पीबीबी रामपुर

07.11.2026 को चल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए सूचना

'फाइनेंशियल एसेट्स के सिक्युरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट एक्ट, 2002' के तहत चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के तहत, आम जनता और खास तौर पर उधार लेने वाले (Borrower/s) और गारंटी देने वाले (Guarantor/s) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई चल संपत्ति (movable property), जो सिक्योर्ड क्रेडिटर (State Bank of India) के पास गिरवी रखी गई थी और जिसका भौतिक कब्जा अधिकृत अधिकारी (Authorised Officer) ने ले लिया है, उसे बैंक के बकाया की वसूली के लिए 29.09.2025 को "जैसा है, जहाँ है" (As is where is) और "जो कुछ भी है" (Whatever there is) के आधार पर बेचा जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है:-
इच्छुक बोली लगाने वाले ई-नीलामी खत्म होने से पहले Baanknet के पास अपनी प्री-बिड EMD जमा कर सकते हैं। प्री-बिड EMD बोली लगाने वाले के खाते में तभी क्रेडिट की जाएगी जब Baanknet को अपने बैंक खाते में पेमेंट मिल जाएगा और वह ई-नीलामी वेबसाइट पर यह जानकारी अपडेट कर देगा। बैंकिंग प्रक्रियाओं के कारण इसमें कुछ समय लगता है, इसलिए बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी भलाई के लिए आखिरी समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए प्री-बिड EMD काफी पहले जमा कर दें। ई-नीलामी की तारीख/समय: 07.11.2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (6 घंटे), जिसमें 10-10 मिनट के अनलिमिटेड सेशन होंगे।

नीलामी की तारीख: 07/11/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

EMD जमा करने की तारीख: 05/11/2026 सुबह 10:00 बजे से 07/11/2026 दोपहर 03:00 बजे तक

क्र.सं.	लोन खाते का विवरण और उधार लेने वाले का नाम	वसूली के लिए बकाया राशि	वाहन विवरण	रिज़र्व प्राइस (रु.) - वह कीमत जिससे कम पर प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) रिज़र्व प्राइस का 10% बोली बढ़ाने की राशि	अधिकृत अधिकारी का नाम
1	खाता सं. 43465685543 उधार लेने वाला: रिज़वाना C/O जीशान अली	17,21,693/- + जीएसटी	गाड़ी MAHINDRA THAR मॉडल THAR LX D MT 4WD 4S CT BS6 रजिस्ट्रेशन UP 21 DH 0302 इंजन नंबर YKR4B81528 चेसिस नंबर MA1UJ4YK2RC38015	₹10,90,000/- ₹1,09,000/- बोली में बढ़ोतरी ₹10,000/-	आकाश राज गौड़

वह अकाउंट/वॉलेट जिसमें बयाना राशि (Earnest Money) जमा की जानी है: बोली लगाने वाले का अपना वॉलेट, जो Baanknet की ई-ऑक्शन साइट पर उपलब्ध है: https://baanket.com/eauction-psb/eproc-listing पर NEFT/RETS के ज़रिए रजिस्टर करें। रिज़र्व प्राइस के लिए बयाना राशि, बोली लगाने वाला अपने बैंक अकाउंट से NEFT के ज़रिए ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए Baanknet की ई-ऑक्शन साइट (https://baanknet.com/eauction-psb/proc-listing) पर बने अपने बोलीदाता अकाउंट में जनरेट हुए चालान का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी मदद के लिए कृपया Baanknet हेल्पडेस्क: +918291220220, Support.BAANKNET@psballiance.com और/या अधिकृत अधिकारी को कॉल करें।

ई-ऑक्शन की शर्तें और नियम इस प्रकार हैं:

(1) ई-ऑक्शन "जैसा है, जहाँ है" (AS IS WHERE IS), "जैसा है, जो है" (AS IS WHAT IS) और "जो कुछ भी है" (WHATEVER THERE IS) के आधार पर और "ऑनलाइन" आयोजित किया जाएगा। ऑक्शन बैंक के अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर Banknet द्वारा उनके वेब पोर्टल https://baanknet.com/eauction-psb/proc-listing पर आयोजित किया जाएगा।

(2) बैंक के पास ऑक्शन को रद्द करने/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(3) वाहन बैंकिंग घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

(4) सफल बोली लगाने वाले को सफल बोली राशि यानी बिक्री मूल्य पर लागू GST का भुगतान करना होगा।

(5) अधिकृत अधिकारी की जानकारी और ज्ञान के अनुसार, प्रॉपर्टी (प्रॉपर्टीज) पर कोई भार/देनदारी (encumbrances) नहीं है। हालाँकि, बोली लगाने के इच्छुक लोगों को अपनी बोली जमा करने से पहले भार/देनदारी, ऑक्शन के लिए रखी गई प्रॉपर्टी (प्रॉपर्टीज) के मालिकाना हक और प्रॉपर्टी (प्रॉपर्टीज) को प्रभावित करने वाले किसी भी दावे/देनदारी/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए।

ई-ऑक्शन का विज्ञापन बैंक की कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। (6) यह प्रॉपर्टी सभी मौजूदा और भविष्य के बोझ (encumbrances) के साथ बेची जा रही है, चाहे वे बैंक को पता हों या न हों। अधिकृत अधिकारी किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।

सफल बोली लगाने वाले की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) को बिक्री की कीमत का हिस्सा माना जाएगा और असफल बोली लगाने वाले की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) वापस कर दी जाएगी। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोली लगाने वाले को अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की कीमत स्वीकार किए जाने पर और बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा। यदि सफल बोली लगाने वाला राशि जमा करने में विफल रहता है, तो पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी को ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा; साथ ही, चूक करने वाले बोली लगाने वाले का प्रॉपर्टी या जमा राशि पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

(7) बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया बैंक के सर्विस प्रोवाइडर के वेब पोर्टल https://baanknet.com/eauction-psb/proc-listing और ई-नीलामी वेबसाइट https://BAANKET.com पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक : 07.10.2026 **स्थान: रामपुर** **प्राधिकृत अधिकारी: भारतीय स्टेट बैंक, रामपुर**